दैनिक प्रेस विज्ञप्ति - 03 मई 2021

अनावश्यक दवाईयां न देने के संबंध में विभाग द्वारा नीति निर्धारित की गई :-

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए नए प्रोटोकाल अनुसार एवं राज्य के वरिष्ठ डाक्टरों की अनुशंसा पर कोविड के ईलाज हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है।

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं आई.सी.एम.आर. की अनुशंसा अनुसार ये निर्देश जारी किए गए हैं कि रेमेडीसिविर, टोसीलिजुमाब एवं प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अस्पतालों में ही किया जाए। इन दवाओं को प्रिस्काइब करने वाले डाक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन दवाओं के संबंध में मरीज की आवश्यकता का आकलन कर लें एवं यह भी सुनिश्चित कर ले कि मरीज को अन्य कोई बीमारी जैसे - किडनी रोग, हृदय रोग, कैंसर आदि तो नहीं है।

- यह दवाएं अभी एक्सपेरीमेंटल दवाएं हैं। अतः इन दवाओं को किसी भी मरीज को देने से पूर्व (Next of Kin) मरीज के परिजन से इन्फार्म्ड कंसेन्ट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए है कि इन दवाओं के उपयोग के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद् (State Medical Council) द्वारा दवाओं के उपयोग की ऑडिट की जाएगी एवं बिना किसी कारण ऐसी दवाएं प्रिस्काईब करने वाले डाक्टर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर कार्यवाही की जाएगी :-

- राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर द्वारा 5 अलग-अलग दल बनाए जाएगें, जो कि निजी अस्पतालों का भ्रमण कर, यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर बेड उपलब्धता की जानकारी अद्यतन रहे एवं बेड उपलब्ध होने की स्थिति में किसी भी मरीज को भर्ती होने से वंचित न होना पड़े।
- यह भ्रमण दल अस्पतालों में मरीजों से मिल यह भी ज्ञात करेंगे कि अस्पताल द्वारा मरीजों को भर्ती से वंचित तो नहीं किया जा रहा। यदि कोई अस्पताल मरीज को बेड उपलब्ध होने के बावजूद भर्ती करने से इंकार करता है तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ उपचर्या गृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाए अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 महामारी अधिनियम 1897 की कंडिका दो एवं छ.ग. एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंण्डिका 3 के अंतर्गत ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

कोरोना पर नियंत्रण के लिए 6.29 लाख लोगों को दी गई दवा किट

- छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए इसके 06 लाख 29 हजार 268 संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाईयों की किट वितरित की गई है। विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए मितानिनों एवं सर्विलेंस टीमों द्वारा दवाईयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामोल, विटामिन-सी और जिंक की टैबलेट शामिल हैं। कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों को दवा किट उपलब्ध कराने के कई जिलों में अच्छे परिणाम आए हैं और वहां संक्रमण की दर में गिरावट आई है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक कोरोना के लक्षण वाले 02 लाख 93 हजार 262 लोगों को दवा किट उपलब्ध कराई गई है। जांच केंद्रों और अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए पहुंच रहे इसके लक्षण वाले दो लाख 55 हजार 471 लोगों को भी दवा किट मुहैया कराया गया है। मितानिनों और सर्विलेंस टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों व कन्टेनमेंट जोनों में एक्टिव सर्विलेंस के दौरान मिले 80 हजार 535 व्यक्तियों को भी कोरोना के इलाज और बचाव के लिए दवाईयां दी गई हैं।

कोविड–19 की स्थिति (रात्रि 08:00 बजे तक)

1	पॉजिटिव प्रकरण	आज	15274
		कुल	771701
2	अस्पताल से डिस्चार्ज	आज	1088
		कुल*	127449
3	होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज	आज	13288
		कुल*	514000
4	कुल डिस्चार्ज (अस्पताल + होम आईसोलेशन)	आज	14376
		कुल	641449
5	वर्तमान में कुल सक्रिय	120977	
6	आज हुई मृत्यु कुल – 266	कोविड–19	147
		को–मॉर्बिडिटी के साथ	119

* पूर्व तिथि में हुए डिस्चार्ज की एन्ट्री अद्यतन होने से आज डिस्जार्च की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।

उपरोक्त सारणी के संबंध में जिलेवार संख्यात्मक विवरण पृष्ठ क्रमांक 02 पर उपलब्ध है।

टेस्टिंग की स्थिति

आज हुए कुल टेस्ट की संख्या 58,493

←—— मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं ——→

छत्तीसगढ़ में COVID-19 की जिलेवार स्थिति दिनांक 03-05-2021

क्र.	जिला	POSITIVE		DISCHARGE		HOME ISOLATION		TOTAL RECOVRED (DISCHARGE + HOME ISOLATION)	TOTAL ACTIVE CASES	DEATHS	
		TODAY	TOTAL	TODAY	TOTAL	TODAY	TOTAL			TODAY	TOTAL
1	दुर्ग	931	88405	130	11852	177	70913	82765	4190	33	1450
2	राजनांदगांव	583	49972	63	10927	1036	31139	42066	7515	11	391
3	बालोद	442	21118	55	6606	346	10493	17099	3775	11	244
4	बेमेतरा	303	16676	4	2945	900	10572	13517	3007	3	152
5	कबीरधाम	435	17539	8	1939	372	10110	12049	5312	6	178
6	रायपुर	1102	144387	240	25397	735	106092	131489	10354	63	2544
7	धमतरी	450	20550	8	1719	762	14259	15978	4184	13	388
8	बलौदाबाजार	747	31003	95	6898	840	18006	24904	5845	4	254
9	महासमुंद	702	24239	25	3075	372	15922	18997	4988	5	254
10	गरियाबंद	303	15291	3	2965	511	8871	11836	3313	4	142
11	बिलासपुर	1014	54795	25	5200	838	41192	46392	7597	15	806
12	रायगढ़	1182	45471	86	9446	1121	25325	34771	10149	20	551
13	कोरबा	1223	41394	22	3633	920	28974	32607	8395	15	392
14	जांजगीर-चांपा	1251	41144	78	6352	927	25486	31838	8842	19	464
15	मुंगेली	622	15269	7	668	176	9365	10033	5165	11	71
16	गौरेला पेंड्रा मरवाही	313	6725	4	396	225	3808	4204	2477	6	44
17	सरगुजा	509	21338	21	2646	540	14756	17402	3772	3	164
18	कोरिया	579	14453	9	1248	410	10014	11262	3100	3	91
19	सूरजपुर	516	16037	6	1480	418	11329	12809	3142	9	86
20	बलरामपुर	369	10124	4	1187	344	6484	7671	2405		48
21	जशपुर	609	15489	69	2936	342	7905	10841	4540	5	108
22	बस्तर	172	14435	33	3398	193	9461	12859	1466		110
23	कोंडागांव	221	8740	6	1379	207	5930	7309	1375		56
24	दंतेवाड़ा	71	7766	23	3423	26	3925	7348	400		18
25	सुकमा	26	4696	21	2510	12	1954	4464	222		10
26	कांकेर	520	16717	19	2435	506	9266	11701	4867	7	149
27	नारायणपुर	32	2519	0	1727	4	497	2224	293		2
28	बीजापुर	44	4776	22	2623	28	1952	4575	173		28
0	अन्य राज्य	3	633	2	439	0	0	439	114		80
	महायोग	**15274**	**771701**	**1088**	**127449**	**13288**	**514000**	**641449**	**120977**	**266**	**9275**

कोविड से संक्रमित व्यक्तियों के स्थाई निवास अनुसार प्रविष्टि किये जाने के फलस्वरूप, जिलेवार दर्ज कोविड मरीजों की संख्या में अंतर संभावित है।

मीडिया प्रभारी
राज्य कन्ट्रोल एण्ड कमांड सेंटर
(COVID19)

←—— मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं ——→